दिनांक-21जनवरी2020

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास बेचने पर उड़नदस्ता ने लगाया 3000 जुर्माना, डेली नीड्स से 20 पैकेट एक्सपायरी बिस्किट जप्त कर लिया जुर्माना

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज वैशालीनगर , वार्ड 23 शीतला मार्केट व वार्ड 27 छावनी चौक सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित पानी डिस्पोजल गिलास तथा व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति , गुमास्ता व फूड लाइसेंस का निरीक्षण करते हुए बिना लाइसेंस व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही करते हुए 15,000 रूपए अर्थदण्ड की वसूली की। निगम क्षेत्रांर्गत विभिन्न व्यापारियों द्वारा प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास विक्रय करते पाए जाने उसे जप्त कर जुर्माना वसूला गया तथा उड़नदस्ता की टीम ने निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर वैशालीनगर में सड़क बाधा करने वाले के.के. सिंह से जुर्माना वसूल किए। नगर पालिक निगम , भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने वैशालीनगर, वार्ड 23 शीतला मार्केट व वार्ड 27 छावनी चौक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किराना दुकान , बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक डिस्पोजल, कैरीबैग रखने वालों तथा बिना लाइसेंस व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। उड़नदस्ता की टीम ने सफाई व्यवस्था , अनुज्ञप्ति लायसेंस आदि का जायजा लिया! निगम की उड़नदस्ता टीम ने के.के. सिंह से सड़क बाधा शुल्क 4000 हजार रूपए, सूरज जायसवाल पान ठेला छावनी से 2 पैकेट प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास जप्त करते हुए 1000 रूपए जुर्माना, राशी पान ठेला शीतला काम्प्लेक्स प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास बेचते पाए जाने पर 1000 रूपए, गुरूकृपा

जनसम्पर्क अधिकारी